

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग -II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019
09 आश्विन, शक 1941

अधिसूचना संख्या. 71/2019-सीमाशुल्क (गैटे)

सा.का.नि. (अ):- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 67 और 69 के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, वेयर हाउस गुडस (रिमुवल), 2017 में आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन विनियमों को वेयर हाउस गुडस (रिमुवल) अमेंडमेंट रेगुलेशन, 2019 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. वेयर हाउस गुडस (रिमुवल) रेगुलेशन, 2016, के विनियमन 5 के पश्चात निम्नलिखित विनियमन को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“6 कतिपय क्षेत्रों में इन विनियमों की अप्रयोजता- इन विनियमों में निहित कोई भी बात धारा 65 के अंतर्गत संचालित वेयर हाउस पर लागू नहीं होगी”।

[फा.सं. 484/03/2015-एलसी (पार्ट)]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं. 67/2016-सीमाशुल्क (गैटे), दिनांक 14 मई 2016 को सा.का.नि. 514(अ), 14 मई 2016 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था।